रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML./2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 21 जुलाई, 2003/30 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-2, 21 जुलाई, 2003

संख्या वि0स0/लैज-गवरनमैंट बिल/1-81-2003.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हि0 प्र0 विधान सभा मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2003 (2003 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 21 जुलाई, 2003 को हिमाचल

1651—राजपत्र/2003-21-7-2003—1,390.

मूल्य : एक रुपया।

प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2003 का विधेयक संख्यांक 17

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2003

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा-3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- धारा-3 का प्रतिस्थापन।

"3 (1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा अर्थात् :-

(क) मुख्यमन्त्री --------- अठारह हजार रूपए प्रतिमास ;
(ख) कैबिनेट मन्त्री --------- पन्द्रह हजार रूपये प्रतिमास ;
(ग) राज्य मन्त्री-------- ग्यारह हजार रूपए प्रतिमास ; और
(घ) उप मन्त्री----------दस हजार रूपए प्रतिमास ।

(2) प्रत्येक मन्त्री प्रतिमास पांच हजार रूपए की दर से प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।"।

(3) प्रत्येक मन्त्री अपनी सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट दर पर भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा ।"। 1971 का 8

3. मूल अधिनियम की धारा 4 का लोप किया जाएगा । धारा 4 का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) में, विद्यमान प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :- धारा 10 का संशोधन।

"परन्तु यह कि मन्त्री को, जो इस उप-धारा के अधीन टेलीफोन स्थापित करता है, सात हजार रूपए प्रतिमास की दर से टेलीफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाह व्यय और उन यथेष्ठ खर्चों, जोकि माननीय मन्त्री को जनप्रतिनिधि के रूप में जनजीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनके विद्यमान वेतन और भत्तों को बढ़ाने के साथ–साथ पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से प्रतिपूरक भत्ता भी संदत्त करना आवश्यक समझा गया है । उन्हें देय सत्कार भत्ता समाप्त करने और उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर किसी भी स्थान पर या उनके स्थाई निवास स्थानों पर स्थापित टेलीफोन के बारे में स्थानीय और बाह्य कालों के व्यय की पूर्ति के लिए टेलीफोन प्रभारों की प्रतिपूर्ति के स्थान पर सात हजार रुपये प्रतिमास की दर से टेलीफोन भत्ता देना भी आवश्यक समझा गया है । इसलिए मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

शिमला.....

तारीख.....

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 4 के अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग बयालीस लाख रूपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय करना पड़ेगा ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

---शून्य----

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः जी.ए.डी-सी(पी.ए.)4-22/94-III)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2003 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2003

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री ।

जे0 एल0 गुप्ता,
सचिव (विधि)।

शिमला.....

तारीख.....

Bill No. 17 of 2003.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2003.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follow:—

1. This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2003. Short title.

2. For section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (hereinafter called the "principal Act"), the following shall be substituted, namely:— Substitution of section 3.

11 of 2000

"(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely :—

(a)	**Chief Minister**	**Eighteen thousand rupees per mensem;**
(b)	**Cabinet Minister**	**Fifteen thousand rupees per mensem;**
(c)	**Minister of State**	**Eleven thousand rupees per mensem; and**
(d)	**Deputy Minister**	**Ten thousand rupees per mensem.**

(2) Each Minister shall be entitled to receive compensatory allowance at the rate of five thousand rupees per mensem .

(3) Each Minister shall be entitled to receive an allowance for each day during the whole of his term at the same rate as specified in clause (ii) of sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.

8 of 1971.

3. Section 4 of the principal Act shall be ommitted. Ommission of section 4.

4. In section 10 of the principal Act, in sub-section (1), for the exiting first proviso , the following proviso shall be substituted, namely:— Amendment of section 10

" Provided that a Minister who installs a telephone under this sub-section shall be paid telephone allowance at the rate of seven thousand rupees per mensem.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Hon'ble Ministers, as public representatives have to incur on account of various demands of the public life, it has been considered necessary to increase their existing salaries and allowances and also to pay a compensatory allowance at the rate of Rs. 5000/- per mensem. It has also been decided to do away with the sumptuary allowance payable to them and also to provide telephone allowance @ Rs. 7000/- P.M. instead of reimbursement of telephone charges, to meet the expenses of local and outside calls in respect of telephone installed at any place within their constituencies or at their permanent places of residence. This has necessitated the amendments in the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

Shimla:
The.....July, 2003.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clauses 2 and 4 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State Exchequer to the tune of Rs. 40.00 lakhs per annum approximately.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(GAD File No. GAD-C (PA) 4-22/94-III)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2003, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT BILL, 2003

A

BILL

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (Act No. 11 of 2000).

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

J. L. GUPTA,
Secretary (Law).

Shimla:

The..... July, 2003.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित